

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 02 मई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी.एस.टी./डी-3249, दिनांक 12-04-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के अन्तर्गत रुपये 947.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-70 के अधीन मुख्य लेखा शीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-03-राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायक अनुदान-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में कुल प्राविधानित आय-व्ययक रुपये 1002.05 लाख के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि रुपये 54.78 लाख को समायोजित करते हुए रुपये 947.27 लाख (रुपये नौ करोड़ सैतालीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (I) यदि संस्था के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त धनराशि निर्गत की जायेगी।
- (II) अनुदान के आहरण बिल को अनु सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाय।
- (III) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (IV) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (V) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यक होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (VI) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-29/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (VII) लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत प्रभावी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (VIII) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 लेखा शीर्षक 3425-60-200-03-00 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- (IX) प्रकरण में समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की जायेगी तथा व्यय का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-7 एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 9,47,27,000 (रुपये नौ करोड़ सैतालीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या 70 लेखा शीर्षक 3425-60-200-03-00 राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायक अनुदान-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-29/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शिव प्रसाद)
विशेष सचिव

संख्या-8/2024/503(1)/45वि/2024, एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- (2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।